

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.17(16)नविवि/नियम/2021

जयपुर, दिनांक:- 10/05/2021

:- अधिसूचना :-

राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर-कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 10 के उप नियम (2) एवं नियम 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्वारा कोविड-19 महामारी की द्वितीय लहर को दृष्टिगत रखते हुए मेडिकल आपूर्ति हेतु ऑक्सीजन गैस प्लांट स्थापित किए जाने के लिए कृषि भूमि की अनुज्ञा एवं आवंटन पर उक्त नियमों के नियम 9 के उप-नियम (1) के अधीन प्रीमियम से शत प्रतिशत छूट एवं नियम 20 के उप नियम (1) के अधीन लीज राशि से शत प्रतिशत छूट प्रदान करती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

५/५/२०२१ 10.5.2021

(राजपाल सिंह यादव)

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नविवि।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग।
5. आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान सरकार।
7. संयुक्त शासन सचिव-प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नविवि।
8. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
9. सचिव, समस्त नगर विकास, न्यास।
10. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि, जयपुर।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. रक्षित पत्रावली।

५/५/२०२१ 10.5.2021

संयुक्त शासन सचिव-तृतीय